संख्या-105/2024/I/680345/2024/71-1002(002)/42/2021

प्रेषक,

चन्द्रशेखर मिश्र,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक 05 जुलाई, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में परिसर के आवासीय एंव अनावासीय भवनों के लिए सीवर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट सहित नई सीवर लाइन बिछाने के कार्य हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2024-25/31, दिनांक 27.05.2024 का कृपया संददर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में परिसर के आवासीय एंव अनावासीय भवनों के लिए सीवर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट सहित नई सीवर लाइन बिछाने के कार्य हेतु रू0 1050.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-98/2022/I/214133/2022-71-1002(002)/42/2021, दिनांक 15.09.2022 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में परिसर के आवासीय एंव अनावासीय भवनों के लिए सीवर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट सहित नई सीवर लाइन बिछाने के कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 2171.64 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 542.91 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में परिसर के आवासीय एंव अनावासीय भवनों के लिए सीवर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट सहित नई सीवर लाइन बिछाने के कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 2171.64 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक-4210-03-105-43-राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से प्रश्नगत कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1050.00 लाख (दस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

4. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए बीएम-9 प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. परियोजना से सम्बन्धित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-98/2022/I/214133/2022-71-1002(002)/42/2021, दिनांक 15.09.2022 में उल्लिखित शेष शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,50,00,000 (रुपये दस करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054300 मेडिकल कालेज गोरखपुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

चन्द्रशेखर मिश्र
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, जल निगम लखनऊ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
चन्द्रशेखर मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in